न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 89/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2025/169
दायर दिनांक :– 24.04.2025 **निर्णय दिनांक :–** 31.07.2025

01. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कानासर ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
–प्रार्थी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, को इस आशय से पेश किया है कि खसरा नम्बर 1611/2 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय कानासर ढाणी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि में विधालय भवन निर्मित है और संचालित भी हो रहा है। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि की तरमीम पूर्व में नहीं की गई थी लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना में उक्त वादग्रस्त खसरा की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से और जहां पर विधालय भवन निर्मित है उस स्थ्ज्ञान से दूर अन्यत्र स्थान पर कर दी है जो तरमीम सरासर गलत है जबकि मौके पर विधालय की भूमि प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है और नजरी नक्शा अनुसार ही मौ के पर विधालय भवन स्थित है। इसिलये उपरोक्त वर्णित खसरान् की वर्तमान नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार एवं स्कूल क्षेत्र अनुसार नवीन तरमीम किया जाना आवश्यक है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1611/2 रकबा 1. 9425 हैक्टेयर भूमि ककी तरमीम स्कूल भवन की जगह नहीं होकर अन्यत्र दर्ज है जबकि आवंटन नामान्तरकरण कानासर की पुश्त पर दर्ज तरमीम से भी भिन्न दर्ज है जिसे निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एंव पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1611/2 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की तरमीम निर्मित विधालय भवन की जगह नहीं होकर अन्यत्र दर्ज है। तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में आवंटन के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1611/2 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान भू–नक्शा में ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)